



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या... (//) / 2015-16

(II) आदेश फलक

आवेदन की तिथि 21/12/15
अभिप्रेक्षा की तिथि 22/12/15
निर्गत तिथि 23/12/15

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
6/1/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती... पिता/प्रति... थाना... जिला-धनबाद में नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा... मौजा नं०... खाता नं०... प्लॉट नं०... रकबा... दलील सं०... दिनांक... को द्वारा श्री/श्रीमती... से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अपिलेख दिनांक... को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p>88 रु 5000</p> <p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>
20/1/15	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं० 5088 में बिक्रेता-के/विक्रेता-के... के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निर्बंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद/कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की प्रशि-को-कोषागार में जमा कर दलील-को-बै-कस-लिया-गया-है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा। लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p> <p>5</p> <p>प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि</p> <p>अंचल कार्यालय धनबाद</p>

मेरे द्वारा फोटो कोपी किया गया 23/12/15
प्रतिलिपि/टंकक

मैंने मिलान किया
सहायक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
अंचल कार्यालय
धनबाद

8/10/12
S-115/112
3/11/12





निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खातिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम - झारखण्ड

अवेदन की तिथि 21/12/15
 अधिष्ठाता के सिद्धि 22/12/15
 निर्धारित तिथि 23/12/15

1	क्रम संख्या	2	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	3	गाँव	4	धाना और धाना संख्या	5	नामान्तरण और सचिवद अभ्युक्ति की संख्या	6	नामान्तरण भण्डार करेवाला प्राधिकार और आदेश की ताख	7	नामान्तरण किस कारण से होता है बिक्री, वान विनिष्प, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	8	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा खौरा	9	कर्माचारी द्वारा हल्का को शुद्धि की गई ?	10	अभ्युक्ति
			दा० खा० 1759 (II) 15-16		सुरामदला		धनबाद 08	खाता- 59 -- प्लॉट- 157 -- रकबा- 2.5 कड़वा (4.12 डिसेमिल) लगान- 2.00 रु. 9/		अंचल अधिकारी धनबाद		बिक्री / उत्तराधिकारी दलील संख्या 7657 19.10.15		पुराना जमा०:- 5088 पुराना रैयत:- विक्रेत नाश जखान नया रैयत:- ① रीना चौरखिया पति पिनका कुमार चौरखिया ② पिनका कुमार चौरखिया पति चन्द्रका जहाद चौरखिया दा०- हरबोम, नामान्तरण (निष्प)		जमा सं० _____ में दर्ज किया			

ज्ञापक संख्या..... ता०..... 2015
 कर्माचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

मैंने मिलान किया सहायक

भरे हुए फोटो कोपी किया गया 23/12/15 प्रतिलिपिक / टंकक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि मनीष कुमार चौधरी प्रधान सहायक अंचल कार्यालय धनबाद

30/05/12
01/05/12
01/05/12

